

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं./शि.क./संवि./सी/57/2011/1030

भोपाल, दिनांक 13/12/2011

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग एवं पारस्परिक आधार पर अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	वर्तमान में कार्यरत निकाय	निकाय का नाम जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती पुष्पा चौहान सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. हिनौतिया जिला विदिशा	BE9450	233107086 01	जनपद पंचायत विदिशा जिला विदिशा जा.क्र.2449दि. 25.10.11	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क्र.2577दि. 15.11.11 शा.प्रा.शा. सुखी सेवानियां	233202183 01
2	श्री कासम खान (निःशक्त) सहायक अध्यापक शा.ई.जी.एस.शा. राजाखोरी जिला रतलाम	BI9834	232006156 01	जनपद पंचायत सैलाना जिला रतलाम जा.क्र.1847दि. 18.08.11	नगर परिषद हातोद जिला इंदौर जा.क्र.547 दि. 20.10.11 शा.मा.शा. हातोद	232605125 02
3	श्री किशोर कुमार लकडा सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. ज्ञानंद का पुरा जिला मुरैना	AR1264	230202061 03	जनपद पंचायत अम्बाह जिला मुरैना जा.क्र.234 दि. 20.09.11	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र.3633दि. 18.10.11 शा.प्रा.शा. चारपुरा (कोटरा)	233003076 01
	श्री विनोद सिंह तोमर सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. चारपुरा (कोटरा) जिला राजगढ़	AU6433	233003076 01	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र.3633दि. 18.10.11	जनपद पंचायत अम्बाह जिला मुरैना जा.क्र.234दि. 20.09.11 शा.प्रा.शा. ज्ञानंद का पुरा	230202061 03

5	श्री. कृ. मन्मथसिन्हा सहायक अध्यापक शा.मा.उर्दू मेन बोर्ड शाला छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा	AY9417	234402055 01	नगरपालिका परिषद छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.1594दि. 08.08.11	जनपद पंचायत बरघाट जिला सिवनी जा.क्र.1891दि. 03.08.11 शा.उर्दू प्रा.शा. बोरीकलॉ	234402055 01
6	मो. इरशाद खान सहायक अध्यापक शा.उर्दू प्रा.शा. बोरीकलॉ जिला सिवनी	AY9417	234402055 01	जनपद पंचायत बरघाट जिला सिवनी जा.क्र.1891दि. 03.08.11	नगरपालिका परिषद छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.1594दि. 08.08.11 शा.मा.उर्दू मेन बोर्ड शाला छिंदवाड़ा	234301171 04

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यायीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

" आयुक्त द्वारा अनुमोदित "


 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. ३० / संवि. / सी / 57 / 2011 / 103 /
प्रतिलिपि

भोपाल, दिनांक 13/12/2011

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

